

परियोजना से 10 किमी० की परिधि में कोई सेन्चुरी / वन्यजीव बिहार न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० (भारत सरकार का उद्यम) द्वारा प्रस्तावित 765 के०व्ही० डबल सर्किट उरई से अलीगढ़ पार्ट-4 पैकेज टी०ई०-०९ पारिषण प्रणाली के निर्माण परियोजना से 10 कि०मी० की परिधि में -

1. निर्माण कार्य में राष्ट्रीय उद्यान, कोई वन्यजीव अभ्यारण, जैव मण्डल, रिजर्व वाध रिजर्व हाथी कोरीडोर सम्मिलित नहीं है।
2. निर्माण क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिगत की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियां नहीं पायी जाती हैं।
3. निर्माण क्षेत्र में सुरक्षित पुरातत्वीय / पारस्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र स्थित नहीं है।


(मुकेश शर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी
हाथरस वन प्रभाग
हाथरस।
दिनांक...19/02/18...


(S.D. Tripathi)
Divisional Director
Social Forestry Division
Dist. Aligarh
Date.....13/02/18.....